कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला टोंक (राज0)

क्रमांकः–सी0बी0 / रा0स0पो0 / 2021 / 13042 दिनांकः–26.3.2021

प्रेषिति,

प्रभारी अधिकारी,
मुख्यमंत्री हेल्प लाइन
राज0 जयपुर

विषयः–परिवाद द्वारा श्री ज्ञानेश कुमार निवासी एस–1 2 फलोर झारखण्ड अपार्टमेन्ट झारखण्ड मोड भगत सिंह मार्ग खातीपुरा, वार्ड नं0 01 ग्रेटर जयपुर के संबंध में।

प्रसंगः–रा0स0पो0 संख्या 03210679651021 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक परिवाद के संबंध में निवेदन है कि परिवाद श्री ज्ञानेश कुमार निवासी एस–1 2 फलोर झारखण्ड अपार्टमेन्ट झारखण्ड मोड भगत सिंह मार्ग खातीपुरा, वार्ड नं0 01 ग्रेटर जयपुर के परिवाद में अंकित तथ्यों के संबंध में जांच रिपोर्ट वृत्ताधिकारी मालपुरा से प्राप्त की गई।

वृत्ताधिकारी मालपुरा की रिपोर्ट के अनुसार पाया कि परिवाद के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15.02.2021 को पीडिता द्वारा मय अपनी मां व अपने भाई के साथ थाना पचेवर पर उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट पेश की, जिस पर अभियोग सं0 25 / 2021 धारा 363,342,341,323,143, 354,376 IPC & 3/4 POCSO ACT दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया।

दौराने अनुसंधान पीड़िता, भाई श्री घासीलाल, पिता श्री कल्याण, मां श्रीमति गंगा देवी के कथन धारा 161 जाफौ लेखबद्ध किये गये। पीड़िता द्वारा वक्त घटना पहने पार्चेजात पेश करने पर जप्त किये गये। पीड़िता के न्यायालय में कथन धारा 164 जा.फौ. करवाये गये। पीड़िता की निशांदेही से दुष्कर्म स्थल प्रथम, द्वितीय व अपहरण स्थल का नक्शा मौका मूर्तिब किया गया। पीड़िता के बयानों की वीड़ियोग्राफी करवाई जाकर सीडी तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। पीड़िता का बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया गया। पीड़िता व उसकी की चोटों का मेडिकल मुआयना करवाया गया। पीड़िता का उम्र संबंधी मेडिकल मुआयना करवाया गया। पीड़िता की उम्र संबंधी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई, जिसमें पीड़िता की उम्र 17 से 19 होना अंकित किया है। पीड़िता व उसकी मां की इन्जरी रिपोर्ट व पीड़िता की बलात्कार संबंधी मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त की गई। पीड़िता के कथन धारा 164 जा.फौ. की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पीडिता के भाई द्वारा पीडिता व उसकी मां को निर्वस्त्र कर मारपीट करने के वीड़ियो का मैमोरी कार्ड पेश किया जिसको जरिये फर्द जप्त किया गया व फर्द जप्ती / पहचान मूर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में बाद अनुसंधान कुल 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर पेश न्यायालय किया जा चुका है। उक्त खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होने पूर्व से प्रकरण में अनुसंधान जारी था। प्रकरण में अनुसंधान जारी है।

रिपोर्ट अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

भवदीय,

पुलिस अधीक्षक
जिला टोंक।

कार्यालय पता- पटेल सर्किल,टोंक- 304001
Tel.; 01432-243028 Fax-01432-244400 E-mail: sp-ton-rj@nic.in gyanesh 25-21.docx